न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या

106 / 2025

श्री चंचल महेश्वरी निवासी 112 / 190 सेक्टर 11 प्रतापनगर सांगानेर जयपुर राज.

--अपीलार्थी

बनाम

लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा

प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

निर्णय दिनांक 06.01.2026

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा जिला टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 16.08.2025 को प्रेषित / प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

दिनांक 21.10.2013 से 31.12.2014 तक माननीय तहसीलदार का नाम, राजकीय पहचान संख्या तथा अवधि निम्न प्रारूप में–

1 तहसीलदार का नाम

2 पहचान संख्या

3 अवधि (नियुक्ति) तहसीलदार मालपुरा के पद पर दिनांक 21.10.2013 से 31.12. 2014 कब से कब तक

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा को पत्र कमांक 2163 दिनांक 12.11. 2025, 2312 दिनांक 27.11.2025, 2395 दिनांक 11.12.2025 व 2472 दिनांक 29.12. 2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना / सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव तहसीलदार मालपुरा तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

(कल्पना अग्रवाल)

प्रथम अपील अधिकारी

एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर टोंक

777